Regarding alleged violation of Mining and Labour Laws causing environmental risk in Jharsuguda

श्री प्रदीप पुरोहित **(**बारगढ़**) :** महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे वेदांता, रूंगटा, भूषण पावर एंड स्टील, एमएसपी मेटालिक्स और अल्ट्राटेक द्वारा किए जा रहे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों एवं श्रमिक कानूनों के खुलेआम हनन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

झारसुगुड़ा को ओडिशा का पावर हाउस कहा जाता है, परंतु आज यह क्षेत्र अत्यधिक वायु प्रदूषण, दूषित जल स्रोत और तेजी से गिरते भू-जल स्तर के कारण गंभीर जन स्वास्थ्य संकट का केंद्र बन चुका है । स्थानीय नागरिकों, जन-प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा निरंतर शिकायत के बावजूद न राज्य और न ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर प्रभावी कार्रवाई कर पाए हैं । नागरिकों के गंभीर आरोप हैं कि कुछ अधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच मिली-भगत के चलते निरीक्षण औपचारिकता भर रह गया है और उद्योग मनमाने तरीके से पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त इन उद्योगों में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों और जिले के श्रमिकों को बिना पंजीकरण, बिना वैधानिक अनुमति और बिना सुरक्षा मानकों के लगाया जा रहा है, जो श्रम कानून और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है । स्थानीय मजदूरों की भागीदारी न्यूनतम स्तर पर है, जिससे स्थानीय युवाओं के रोजगार अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं । कई इलाकों में श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपकरण के खतरनाक वातावरण में काम करने को मजबूर किया जा रहा है । इन परिस्थितियों में प्रदूषण, धूल, दूषित जल और श्रम कानून उल्लंघन से बच्चों, बुजुर्गों तथा ग्रामीण समुदाय पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पड़े हैं ।

अत: मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पर्यावरण एवं श्रम कानून उल्लंघन की व्यापक जांच करायी जाए और दोषी उद्योगों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** श्रीमती मंजू शर्मा जी ।